नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की एताअत

मुहम्मद अज़हर मदनी

इरबाज़ बिन सारिया रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल (पैगम्बर) मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः तुम में से जो लोग मेरे बाद जिन्दा रहेंगे वह बहुत ज़्यादा मतभेद देखें गे, ऐसे हालात में तुम मेरी सुन्नत को लाज़िम पकड़ना और मेरे हिदायत याफ़्ता खुलाफाए राशिदीन के तरीके को भी लाज़िम पकड़ना और इसी पर मजबूती से जमे रहना। (सहीह अबू दाऊद ३८५१, इब्ने माजा, ४२ तिर्मिज़ी २६७६)

इस हदीस से मालूम हुआ कि मतभेद का एलाज कुरआन व हदीस की शिक्षाओं के अनुसरण में है, आज जहाँ भी मतभेद है, शरई मसायल के मामले में इखतेलाफ़ है तो यह सब कुरआन व हदीस की तालीमात को न जानने और दलीलों के बावजूद अपनी बात पर जमे रहने का नतीजा है। अपने दिमाग से कोई राय काइम करना नबी का अनुसरण नहीं है, बल्कि गुमराही है। इसी लिये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को आगह फरमायाः मैं तुम्हारे बीच एक ऐसी चीज़ छोड़ कर जा रहा हूं कि अगर तुम लोग इसको मजबूती से थाम लोगे (इस्लाम के निर्देशा व आदेशानुसार) अमल करोगे। तो कभी भी गुमराह नहीं होगे और वह है अल्लाह की किताब और नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की सुन्नत। (सहीह तरग़ीब वत तरहीब)

पवित्र कुरआन की विभिन्न आयतों में नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के अनुसरण और एताअत को कामयाबी क़रार दिया गया है। पवित्र कुरआन में एक जगह अल्लाह तआला ने फ़रमायाः जो लोग अल्लाह तआला और उसके पैगम्बर (हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) की एताअत करेंगे और अल्लाह तआला से डरेंगे और उसकी नाफरमानी से बचते रहें तो ऐसे ही लोग कामयाब होने वाले हैं। (सूरे नूर-५२) नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की एताअत की अहमियत को पवित्र कुरआन में विभिन्न तरीके से उजागर किया गया है। सूरे हुजुरात में अल्लाह तआला ने फरमायाः "अगर तुम अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की एताअत (अनुसरण) करोगे तो तुम्हारे कर्मों के पुण्य में कुछ भी कमी नहीं की जायेगी। (आयत-१४) हर मुसलमान को अपने किसी भी अमल के बारे में यह विचार करना चाहिए कि क्या उसका कर्म कुरआन व हदीस के अनुसार है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आज हमारे धार्मिक जीवन में कुछ कर्म ऐसे किये जा रहे हैं जिनका का शरीअत से कोई संबन्ध नहीं है। और जब कोई किसी गैर धार्मिक कर्म के बारे में एतराज या मार्गदर्शन करता है तो यही जवाब दिया जाता है कि इसको करने में कोई नुकसान नहीं है, इससे फायदा ही होगा, अक्ल भी यही कहती है, लेकिन जो लोग इस तरह की बात कह रहे होते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि असल धार्मिक कर्म वही है जिनको करने का हुक्म दिया गया है। इस लिये हर मुसलमान की कामयाबी नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के अनुसरण में है। अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हमें नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का अनुसरण करने की क्षमता दे।

मासिक

इसलाहे समाज

जनवरी 2025 वर्ष 36 अंक 1

रजबुल मुरज्जब 1446 हिजरी

संरक्षक

असग़र अ़ली 'सलफ़ी'

संपादक

मुहम्मद ताहिर

- वार्षिक राशि 100 रुपये
- प्रति कापी 10 रुपये

सम्पर्क

मासिक इसलाहे समाज (हिन्दी)
4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद
दिल्ली-110006
फोन : 23273407 फ़ैक्स: 23246613
RNI No. 53452/90

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद इरफान शाकिर ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ओर से एम.एस. प्रिन्टर्स, **A-145** गली न० **8** चौहान बांगर, सीलमपुर, दिल्ली-**53** से छपवा कर अहले हदीस मंज़िल **4116**, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-**6** से प्रकाशित किया।

सम्पादक: मुहम्मद ताहिर

लेखक के विचारों से संस्था का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में

1. नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की एताअत **02**

2. उनको हिसाब की आशा नहीं थी **04**

3. मानव सम्मान की मिसाल **06**

4. इस्लाम में अनाथों के अधिकार **07**

5. रोज़ा कितने प्रकार के होते हैं **10**

6. प्रेस रिलीज (चांद दर्शन) **13**

7. हराम वस्तुएं **14**

8. जमाअती ख़बर **18**

9. पैग़म्बर मुहम्मद स० के उपदेश **19**

10. भलाई और सफलता की राह **22**

11. फ़िरऔन का अंजाम **23**

12. अपील **27**

13. अहले हदीस मंज़िल (विज्ञापन) **28**

ईमेल:-

Jaridahtarjuman@gmail.com

Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com

अब 'इसलाहे समाज' इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है

वेब साइट:- **www.ahlehadees.org**

सम्पादकीय

संसाधन का सहीह स्तेमाल

नौशाद अहमद

संसाधन अर्थात अपने रूपयों पैसों का सहीह स्तेमाल भी एक समस्या है, आज भी अपने समाज में ऐसे लोगों की अच्छी खासी तादाद है जो अपने संसाधनों का सहीह स्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। समुदाय शैक्षिक स्तर पर आज भी काफ़ी कमजोर है, सक्षम और काबिल बच्चे भी उच्च शिक्षा को जारी रखने के लिये पैसा और अन्य संसाधन न होने के सबब बीच में ही पढ़ाई छोड़ पर दूसरे कामों में लग जाते हैं। जिन बच्चों से मां बाप को यह उम्मीद होती है कि यही सक्षम और योग्य बच्चे खानदान को खुशहाली की दिशा में ले जायेंगे आर्थिक संसाधान न होने की वजह से ऐसे बच्चों और माँ बाप की आशा टूट जाती है।

यह काफी इतमिनान की बात है कि कुछ संस्थाओं ने ऐसे योग्य बच्चों की शिक्षा को जारी रखने के लिये संसाधन उपलब्ध करा रही हैं लेकिन अब भी जिस स्तर पर यह काम होना चाहिए, वह संतुष्टिजनक नहीं है।

हमारे समाज में शादी के अवसर पर किसी तरह के फालतू खर्च का न रिवाज था और न ही शरई हुक्म है, लेकिन आज मुस्लिम समाज में भी शादी के नाम पर मंगनी के नाम पर और शादी से संबन्धित दूसरे रस्मो रिवाज के नाम पर पैसा बर्बाद हो रहा है, यह भी अपने आप में एक समस्या बन गई है, किसी किसी शादी की महफिलों में ऐसा लगता है कि खाना खिलाया नहीं जा रहा है बल्कि लुटाया जा रहा है, हज़ारों लाखों रूपयों का खाना बर्बाद हो जाता है, जो पैसा बच्चों की मानसिक ताक़त बढ़ाने के लिये धार्मिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा पर खर्च होना चाहिए था, वह बेतहाशा यूं ही बर्बाद हो रहा है, यह स्थिति भी मुस्लिम समाज के लिये एक संकट की तरह है। इन पैसों से मुस्लिम समाज के लिये अच्छे स्कूल बनाये जा सकते हैं, अच्छे कालेज बनाये जा सकते हैं, चेरीटेबेल स्पताल स्थापित किये जा सकते हैं, मेडिकल संस्थाएं खोली जा सकती हैं, अगर मुस्लिम एलाक़ों का सर्वे किया जाये तो पता चलेगा कि कितने खानदान संसाधन न होने की वजह से पिछड़ते जा रहे हैं, जीवन कठिनाइयों में गुज़र रहा है।

ऊपर बयान की गई समस्या मुस्लिम समाज की एक ज्वलंत समस्या है। हमारे ओलमा, इमाम और खतीब हज़रात मस्जिदों, प्रोग्रामों में अनेकों समाजी व धार्मिक अहकाम और समस्याओं पर खिताब करते हैं, दीन से संबन्धित मसायल पर अपनी बात रखते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि शादी में फालतू खर्च का जो सैलाब आया हुआ है, बहुत कम मस्जिदों और प्रोग्रामों में इस विषय पर बात होती है। ज़रूरत इस बात की है कि अइम्मा और ओलमा मुस्लिम समाज को इस समस्या से निकालने के लिये बेदारी पैदा करें, शादी वगैरह के नाम पर होने वाले फालतू खर्च के खिलाफ़ आवाज़ बुलन्द

करें और लोगों के अन्दर शिक्षा के लिये ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने और मालदारों को अपने संसाधनों के सहीह स्तेमाल करने के लिये प्रेरित और उनका मार्ग दर्शन करें।

मानव सम्मान की मिसाल

पवित्र क़ुरआन में अल्लाह तआला ने फ़रमायाः

''क्यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठायेगा।''

इस्लाम जुर्म की सज़ा देने का तरफदार है लेकिन इसके साथ ही अपराधी के साथ अपमान जनक तरीका अपनाने का तरफदार नहीं है अपने आप को सभ्य कहने वाले दावा करते हैं कि वह मानव का सम्मान करते हैं लेकिन संसार के विभिन्न भागों में अपराधियों और आरोपियों के साथ अपराधियों के परिवार वालों को भी कई तरह से प्रताड़ित और परेशान करने की कोशिश की जाती है जब कि सजा केवल अपराधी को मिलनी चाहिए। बाज़ मुल्कों में अगर अपराधी घर का मुखिया है और किसी जुर्म के सबब उसको सज़ा हो जाती है तो उसके परविार वालों के बाल बच्चों के भरण पोषण का पूरा ख्याल किया जाता है। सऊदी अरब संभवतः पहला ऐसा मुल्क है जहां पर सजा भोगी के परिवार वालों का आर्थिक भरण पोषण और सहायता राशी दी जाती है जब तक कि अपराधी जेल से अपनी मुद्दत पूरी करके छूट कर बाहर न आ जाये। यह मानव सम्मान की ऐसी मिसाल है जो पूरी दुनिया को सन्देश देता है कि इन्सान से नफरत नहीं करनी चाहिए बल्कि इन्सान की बुराई से दूर रहना चाहिए, यह इस्लाम की शिक्षाओं का परिणाम है। कोई भी इस्लाम का सच्चा अनुयाई मानव अपमान की राह पर नहीं जा सकता। सहाबा किराम रज़ियल्लाहो तआला अन्हुम, ताबईन, अइम्मा रहिमहुमुल्लाह के जीवन और उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाये तो मानव सम्मान की ऐसी मिसालें मिलती हैं जिन्हें पढ़ कर आज के माहौल पर बड़ा अफसोस और दुख होता है, गरीबों, ज़रूरतमन्दों के साथ उनके व्यवहार का अध्ययन कीजिये तो मालूम होता है कि वह लोग समाज के हर व्यक्ति का ख्याल रखते थे। गरीबों की मदद उनके चरित्र का एक हिस्सा था। समाज के गरीबों, ज़रूरतमन्दों की सहायता करना पुण्य का काम क़रार देते हुए इस्लाम ने समाज के मोहताजों की मदद करने की प्रेरणा दी है, और इस्लाम के मानने वालों ने इसका व्यवहारिक आदर्श और मिसाल पेश की है, जब इस तरह का माहौल था तो कोई मोहताज नहीं था, कोई परेशान नहीं था, एक पडोसी दूसरे पड़ोसी से सुखी था, घर में कुछ कम होने पर कोई भी पड़ोसी परेशान नहीं होता था, आज इस भावना को जागरूक करने की ज़रूरत है, आड़े वक़्त पर मदद करना, दूसरों को अपमान से बचाना, मानव सम्मान की श्रेणी में आता है।

अल्लाह तआला हम सभी लोगों को मानव सम्मान की राह पर चलने, अपने पर्वूजों के चरित्र और नैतिकता को अपनाने की क्षमता दे।

❑❑❑

उनको हिसाब की आशा नहीं थी

मनज़ूर अहमद

पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला ने फ़रमायाः ''उन्हें तो हिसाब की तवक़्क़ो ही नहीं थी''

कुरआन की इस आयत में उन लोगों का उल्लेख है जो मरने के बाद के जीवन पर विश्वास नहीं रखते थे। कुरआन मजीद एक ऐसे वक़्त और माहौल में अवतरित (नाज़िल) हुआ था जब अधिकांश लोगों के अन्दर से बुराई और अच्छाई में अन्तर करने का एहसास खतम हो चुका था, उनहीं लोगों में कुछ ऐसे लोग भी थे जो मरने के बाद हिसाब किताब पर यक़ीन नहीं रखते थे, दौलत व ताकत के नशे में चूर थे, इससे यह पता चलता है कि वह बुराई में इतना लिप्त थे कि उनको भविष्य के बारे में कोई परवाह ही नहीं रह गई थी कि आगे उनके कर्मों के बारे में क्या फैसला होने वाला है, इसी तरह की सोच आज भी कहीं पैदा हो जाती है, तो फिर उसका अंजाम भी अत्यंत नकारात्मक होता और माहौल में अंधकाल वाला युग लौट आता है।

आज के हालात पर अगर नज़र डाली जाये तो अधिकांश लोगों पर समाजी बुराई और भौतिकवाद का जो जुनून है वह उन्हें भी अचेत कर रहा है, घमण्ड पैदा हो रहा है उन्हें यह परवाह नहीं है कि ज़्यादा दौलत कमाने के चक्कर में वह जिस गलत दिशा में जा रहे हैं उसका भी अंजाम अच्छा नहीं हो गा लेकिन आँख उस वक़्त खुलती है जब गलत तरीक़े से बनायी गयी दौलत की ढ़ेर और वक़्ती हैसियत रेत के घरोंधों की तरह धराशायी हो जाती है यही अंजाम अंधक्काल के लोगों का भी दुआ था यह तो दुनिया का एक दर्दनाक अंजाम है, जिस के साथ गुज़रती है वह भी एक अत्यंत दुखदायी चरण से गुज़रता है। अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि जिन को मालूम होता है कि उनके गलत काम का अंजाम अच्छा नहीं हो गा वह यातना की बात से परेशान हो जाते हैं, फिर मरने के बाद के हिसाब किताब पर यकीन न रखने वाले अचानक हिसाब किताब से कितना परेशान होंगे। दुनियावी ज़िन्दगी में जब किसी का अचानक हिसाब किया जाता है तो वह वक़्ती तौर पर हैरान हो जाता है, सोचिए उसके बारे में जो आख़िरत के अचानक हिसाब से कितना परेशान हो गा जो सिरे से हिसाब की संकल्पना भी नहीं रखता था। अगर यही व्यवहार और सोच कुरआन व हदीस को मानने वालों के अन्दर भी पैदा हो जाये तो फिर हम में और अन्य लोगों में क्या अन्तर रह जाता है? इंसान जब सहीह और गलत में अन्तर करना छोड़ देता है, तो फिर उसके मन से अपने कर्मों के हिसाब की संकल्पना खतम हो जाती है, लेकिन ऐसा इन्सान दुनिया में किसी वजह से बच सकता है लेकिन आख़िरत में उसे हर हाल में अपने कर्मों का हिसाब देना होगा।

इसलिये ज़रूरी है कि इन्सान कोई कर्म करे तो उसे यह ध्यान रहे कि मरने के बाद उसे अपने कर्मों का हिसाब देना होगा, और उसके अच्छे बुरे का फल मिलेगा।

❑❑❑

इस्लाम में अनाथों के अधिकार

अबू हमदान अशरफ

वह मासूम और नाबालिग बच्चा जिसके बाप का इन्तेक़ाल हो गया हो उसे यतीम (अनाथ) कहते हैं।

यतीम के साथ अच्छा व्यवहार करने और उन पर खर्च करने पर जोर के साथ जहां बहुत से अधिकारों को बयान किया गया है वहीं यतीमों के बारे में उनके अधिकारों का उल्लेख किया गया। पवित्र कुरआन की २३ आयतों में अनाथों के अधिकारों का वर्णन आया है। यहां पर कुछ आयतों का अनुवाद पेश किया जा रहा है। कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमाया ''और जब हमने बनी इस्राईल से वादा लिया कि तुम अल्लाह तआला के सिवा दूसरे की इबादत न करना और मां बाप के साथ अच्छा व्यवहार करना, इसी तरह कराबतदारों, यतीमों और मिस्कीनों के साथ और लोगों को अच्छी बातें कहना, नमाज़ें काइम करना और ज़कात देते रहा करना, लेकिन थोड़े से लोगों के अलावा तुम सब फिर गए और मुंह मोड़ लिया''। (सूरे बक़रा-८३)

कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

''सारी अच्छाई पूर्व व पश्चिम की तरफ मुंह करने में ही नहीं बल्कि हकीकत में अच्छा वह शख्स है जो अल्लाह तआला पर, क़यामत के दिन पर, फरिश्तों पर, अल्लाह की किताब पर और नबियों (पैग़म्बरों) पर ईमान रखने वाला हो, जो माल से मुहब्बत करने के बावजूद क़राबतदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों और सवाल करने वाले को दे, गुलामों को आजाद करे, नमाज़ की पाबन्दी और ज़कात की अदायगी करे, जब वादा करे तब इसे पूरा करे, तंगदस्ती दुख दर्द और लड़ाई के वक़्त सब्र करे यही सच्चे लोग हैं और यही परहेज़गारी है'' (सूरे बक़रा-१७७)

कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

''आप से पूछते हैं कि वह क्या खर्च करें? आप कह दीजिए जो माल तुम खर्च करो वह मां बाप के लिये है और मुसाफिरों के लिये है और तुम जो कुछ भलाई करो गे अल्लाह तआला को इसका इल्म है'' (सूरे बक़रा-२१५)

सहल बिन सअ्द साइदी रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मैं और यतीम की किफालत (भरण-पोषण) करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे और आप ने अपनी शहादत (गवाही देने वाली) उंगली और बीच वाली उंगली के बीच कुशादगी की। (बुख़ारी)

पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया : जिसने किसी यतीम को अपने खाने और

पीने में शामिल कर लिया यहां तक कि वह मुहताज न रहे तो उसके लिये जन्नत वाजिब हो गई (मुसनद अबू यअ़ला, तबरानी, मुसनद अहमद, सहीहुत तरग़ीब-२५४३)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि एक आदमी पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास अपने दिल के सख़्त होने की शिकायत की तो आप ने फरमाया अगर तू अपने दिल को नर्म करना चाहता है तो मिस्कीन (गरीब) को खाना खिला और यतीम के सर पर (प्यार व मुहब्बत) से हाथ फेर (मुसनद अहमद २/२६३, अस्सहीहा-२/५३३)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ऐ अल्लाह मैं लोगों को दो कमजोरों के हक़ में बहुत डराता हूं (उनके हक में कोताही न करना) एक यतीम और दूसरी औरत (सुनन इब्ने माजा-अस्सहीहा १०१५)

कुरआन में फरमायाः

''और यतीमों को उनके माल दे दो और पाक और हलाल चीज के बदले नापाक और हराम चीज़ न लो और अपने मालों के साथ उनके माल मिलाकर न खाओ बेशक यह बहुत बड़ा गुनाह है'' (सूरे निसा-२)

फरमायाः ''जो लोग नाहक़ जुल्म से यतीमों का माल खा जाते हैं वह अपने पेट में आग ही भर रहे हैं और अनकरीब वह दोज़ख़ में जाएंगे''। (सूरे निसा-१)

यतीमों के साथ पैगम्बर मुहम्मद और उनके साथियों का जो व्यवहार था इसको अल्लामा अलताफ हुसैन हाली ने अपनी कविता में इन शब्दों में उल्लेख किया है।

वह नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला
मुरादें गरीबों का बर लाने वाला
मुसीबत में गैरों के काम आने वाला
वह अपने पराये का गम खाने वाला
फकीरों का मलजा गरीबों का मावा
यतीमों का वाली गुलामों का मौला
खताकार से दरगुज़र करने वाला
बद अन्देश के दिल में घर करने वाला
मफासिद का जेरो ज़बर करने वाला
कबाइल को शेरो शुक्र करने वाला
उतर कर हिरा से सूए क़ौम आया
और इक नुस ख़ए कीमिया साथ लाया

इमरान बिन हुसैइन रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि हम लोग एक सफर में पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के साथ थे, हम सख्त प्यासे थे, आपने हमें पानी की तलाश में भेजा हम पानी तलाश ही कर रहे थे कि हमें एक औरत नज़र आई जो दो मश्कों को लटकाए सवारी से जा रही थी, हमने उससे पानी के बारे में पूछा उसने कहा कि पानी यहां नहीं है, हमारे घर से एक दिन रात की दूरी पर है, हम लोगों ने उससे कहा कि हमारे पैगम्बर के पास चलो उसने कहा अल्लाह के पैगम्बर कौन हैं। हम लोग उस औरत को पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास लाए। औरत ने उपर्युक्त बातों के बाद कहा कि वह यतीम बच्चों की मां है। पानी के मश्कीज़े में पैगम्बर मुहम्मद ने बरकत की दुआ की हम चालीस लोगों ने जी भर कर पानी पिया और अपने तमाम मश्कीज़े को भर लिया लेकिन इसके बावजूद उस औरत के पानी

में कोई कमी नहीं हुई। पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने एलान किया कि जिन जिन लोगों के पास खाने पीने के सामान हैं सब इस औरत को दे दें। जब यह औरत अपने घर पहुंची तो उसने अपनी क़ौम से कहा कि आज मैं सबसे बड़े जादूगर से मिल कर आई हूं वह तो वास्तव में पैग़म्बर हैं जैसा कि उसकी कौम का ख्याल है फिर वह औरत इस्लाम ले आई और इसके ज़रिया इस औरत की कौम भी इस्लाम ले आई। (बुख़ारी)

इस वाक़ए में ग़ौर करने की बात यह है कि जब पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि यह औरत यतीम बच्चों की मां है तो आप ने इन बच्चों पर दया खाते हुए अपने सहाबा (साथियों) को इस औरत की मदद करने का हुक्म दिया जबकि आप और आपके प्यारे सहाबा सफर में थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो के पास एक औरत ने आकर कहा कि ऐ अमीरूल मोमिनीन मेरे पति का देहान्त हो गया है और हमारे पास छोटी छोटी बच्चियां हैं इन बच्चों को खिलाने के लिये मेरे पास कुछ नहीं है और मैं खिफाफ बिन ईमा गिफारी की बेटी हूं, मेरे पिता हुदैबिया में शामिल थे। उमर रज़ियल्लाहो अन्हो ने यह सुनने के बाद इस औरत को एक तन्दुरूस्त ऊंट पर गल्ले के दो थैले और दूसरी चीज़ें देकर रवाना किया और कहा कि इसके खतम होने से पहले अल्लाह इससे बेहतर इन्तेजाम (प्रबन्ध) कर देगा। (बुखारी)

७ हिजरी में पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम उमरा के लिये मक्का गए और जब उमरा से वापस होने लगे तो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की बेटी ने ऐ चचा ऐ चचा पुकारते हुए पीछे से दौड़ते दौड़ते आई। हज़रत अली रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने इस बच्ची को उठा लिया और फातिमा को दे दिया। इस यतीम (अनाथ) बच्ची के बारे में तीनों सहाबी यह कहने लगे कि इस यतीम बच्ची की देख भाल मैं करूंगा और हर एक करीबी रिश्ते का हवाला देने लगे। आखिरकार आपने बच्ची को जाफर बिन अबू तालिब के हवाले कर दिया क्यों कि बच्ची की खाला उनके निकाह में थीं और आप ने फरमाया ख़ाला मां के दर्जे में होती है। (बुख़ारी)

यतीम की देखभाल या भरण पोषण का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अनाथ को अपने परिवार का मिंबर बना लें, अपने बच्चों के साथ इसे भी अपनी औलाद समझ कर इसकी तालीम व तर्बियत पर ध्यान दें, इसकी ज़रूरतों को पूरी करें, इसकी पूरी तरह से देख भाल करें। दूसरा तरीक़ा यह है कि आंशिक मदद करें, अपनी ताकात के अनुसार यतीमों की मदद करें।

अगर रिश्तेदारों में कोई यतीम है तो वह हमारी मदद का ज़्यादा हक़दार है, हम उसकी देख भाल करें इससे डबल पुण्य मिलेगा एक रिश्तेदारी का पुण्य और एक नेकी करने का पुण्य। वह संस्थाए जहां पर अनाथ बच्चे, क्षात्र क्षात्राएं शिक्षाध ीन हैं उनका सहयोग करें उनकी शिक्षा और प्रिशिक्षण में हिस्सा लें।

❑❑❑

रोज़ा कितने प्रकार के होते हैं

प्रो० डा० मुहम्मद ज़ियाउर्रहमान आज़मी

रोज़ा को अरबी में सौम कहते हैं, जिसका अर्थ है रूक जाना अर्थात रोज़ा रखने वाला भोर से लेकर सूर्यास्त तक खाने-पीने तथा संभोग से रूक जाता है। रोज़ा वास्तव में अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने का उत्तम साधन है।

अधिक खाने-पीने से मनुष्य की भोगेच्छा (शहवत) बढ़ती रहती है। और शेतान जो हमारे रक्त के साथ-साथ घूमता रहता है हमें सरलतापूर्वक पथभ्रष्ट कर सकता है इस लिए रोज़ा ही भोगेच्छा को वश में रखने का उत्तम साधन है।

इस्लाम से पहले भी लोगों पर रोज़ा अनिवार्य किया गया था परन्तु उन्होंने रोज़े को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया और फिर वे रहबानियत अथवा संन्यास की ओर निकल गए। इस्लाम चूंकि एक मध यमार्गी धर्म है इसलिए इसने रोज़े को साधन तो बनाया, उद्देश्य नहीं, इसलिए जहाँ सदैव रोज़ा रखने से मना फ़रमाया, वहीं भिन्न-भिन्न अवसरों पर रोज़ा रखने का हुक्म भी दिया। यद्यपि अनिवार्य रोज़ा केवल रमज़ान के महीने का ही है।

''ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़े अनिवार्य किए गए हैं। जिस प्रकार तुमसे पहले लोगों पर अनिवार्य किए गए थे। (कुरआन, सूरा-२, अल-बक़रा, आयत-१५३)

यहाँ रोज़े से अभिप्राय रमज़ान के रोज़े हैं, क्योंकि रमज़ान वह शुभ महीना है जिसमें कुरआन उतारा गया। इसलिए इस महीने को रोज़े जैसी महान इबादत का महीना बना दिया गया।

रमज़ान वह महीना है जिसमें कुरआन उतारा गया जो लोगों के लिए सर्वथा मार्गदर्शन है, और जो ऐसी स्पष्ट शिक्षाओं पर आधारित है जो सीधा मार्ग दिखाने वाली और सत्य एवं असत्य का अन्तर खोल कर रख देने वाली है। अतः अब से तुममें से जो भी इस महीने को पाए, उसके लिए अनिवार्य है कि इस पूरे महीने के रोज़े रखे। हाँ, जो रोगी हो अथवा यात्रा में हो तो वह दूसरे दिनों में यह गणना पूरी करे। अल्लाह की इच्छा तुम्हारे साथ आसानी की है, कठोरता की नहीं, (वह तुम्हारे लिए आसानी पैदा कर रहा है) और चाहता है कि तुम गणना पूरी कर लो, और अल्लाह के प्रदान किए गए मार्गदर्शन के अनुसार उसकी महिमा का वर्णन करो एवं उसके कृतज्ञ रहो।) (सूरो-२, अल-बक़रा, आयत-१८५)

रोज़ा क्या है? अल्लाह की प्रसन्नता के लिए भोर से लेकर सूर्यास्त तक खाने-पीने तथा सम्भोग करने से अपने आपको बचाकर रखना रोज़ा कहलाता है। इस इबादत से इन्द्रियों को शुद्ध करने और उनको अपने वश में रखने में सहायता मिलती है। इसलिए उन लोगों की निन्दा की गई है जो भोर से सूर्यास्त तक भूखे प्यासे रहकर भी अनी

इन्द्रियों को वश में नहीं कर पाते।

नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का फरमान हैः

''जिसने झूठ बोलना और उसपर अमल करना न छोड़ा, तो अल्लाह उसके भूखे-प्यासे रहने का मोहताज नहीं।'' (सहीह बुख़ारी, १६०३)

एक सहीह हदीस में रोज़े का महत्व बताते हुए नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

''अल्लाह का कहना है कि हर कर्म का बदला मनुष्य को मिलता है सिवाय रोज़े के। चूंकि वह मेरे लिए (अर्थात् मेरी प्रसन्नता के लिए) खाना-पीना छोड़ देता है, इसलिए इसका प्रतिफल मैं स्वयं दूंगा। रोज़ा (बुराइयों से रोकने की) एक ढाल है तो जिसका रोज़ा हो उसे चाहिए कि निर्लज्जता की बातें और बकवास न करे, और अगर उसे कोई गाली दे तो कह दे कि भाई मैं रोज़े से हूं। अल्लाह की क़सम, रोज़ेदार के मुंह से जो दुर्गन्ध निकलती है वह अल्लाह की नज़र में मुश्क की सुगन्ध से भी अच्छी है। रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक जब वह रोज़ा खोलता है (अर्थात् शाम को), दूसरी जब वह अल्लाह से मिलेगा।'' (सहीह बुख़ारी १६०४ तथा सहीह मुस्लिम ११५१)

रमज़ान का रोज़ा बग़ैर उचित कारण के छोड़ना निषिद्ध है। परन्तु यह हदीस जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति रमज़ान में बग़ैर कारण रोज़ा छोड़ दे तो पूरे जीवन के रोज़े भी उसका बदला नहीं हो सकते। यह हदीस सुनन की किताबों जैसे अबू दाऊद २३९६, तिर्मिज़ी ७२३, इब्ने-माजा १६७२ इत्यादि हदीस ग्रन्थों में पाई जाती है, परन्तु एक मुहद्दिस के विचार में यह ज़ईफ़ है।

यद्यपि रोज़े की हालत में खाना-पीना तथा संभोग आदि करना निषिद्ध है परन्तु यदि कोई खा-पी ले या संभाग कर ले तो उसे एक गुलाम आज़ाद करना पड़ेगा, ऐसा न कर सके तो दो महीने के रोज़े रखने पड़ेंगे। अगर यह भी न कर सके तो साठ मुहताजों को भोजन कराना पड़ेगा। (देखिएः बुखारी १६३६ तथा मुस्लिम ११११)

यह उस दशा में है जबकि पति ने पत्नी की इच्छा के विरूद्ध संभाग किया हो। परन्तु दोनों ने अपनी इच्छा से संभोग किया हो तो दोनों पर कफ़्फ़ारा अनिवार्य होगा।

परन्तु रात्रि में पति-पत्नी संभोग कर सकते हैं।

अब कुछ ऐसे रोज़ों का वर्णन किया जाता है जो अनिवार्य नहीं हैं।

१. रमज़ान के बाद शव्वाल के छह रोज़ेः सहीह हदीस में आया है कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, और इसके बाद शव्वाल के छः रोज़े रखे तो वह ऐसा है जैसे कि उसने पूरे जीवन रोज़े रखे। (देखिएः सहीह मुस्लिम ११६४)

२. अरफ़ात का रोज़ाः अर्थात उस दिन का रोज़ा जिस दिन हाजी अरफ़ात के मैदान में अल्लाह की इबादत के लिए इकटठा होते हैं, जो मक्का के अनुसार ९ ज़िलहिज्जा होता है। इस दिन का रोज़ा रखने वाले के एक वर्ष पिछले और एक वर्ष आने वाले में सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। (देखें सहीह मुस्लिम ११६२)

परन्तु हाजियों के लिए उत्तम यही है कि वे यह रोज़ा न रखें।

३. आशूरा का रोज़ाः अर्थात् मुहर्रम की दस तारीख़ का रोज़ा। पहले तो यह रोज़ा अनिवार्य था, परन्तु जब रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ हो गया तो यह नफ़्ल हो गया।

४. प्रत्येक अरबी महीने की १३, १४ और १५वीं तारीख़ का रोज़ाः सहीह हदीसों में आता है कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम इन तीन दिनों के रोज़े रखना कभी नहीं छोड़ते थे।

५. शाबान के रोज़ेः नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम रमज़ान के अतिरिक्त जिस महीने सबसे अधिक रोज़े रखते थे वह शाबान का महीना था। (देखिएः बुखारी, १९६९ तथा मुस्लिम, ११५६)

६. सोमवार तथा बृहस्पतिवार का रोज़ाः नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम इन दोनों दिनों के रोज़े अवश्य रखते थे, क्योंकि इन दो दिनों में मनुष्य के कार्य का लेखा-जोखा अल्लाह के पास भेजा जाता है। एक दूसरी हदीस में आया है कि चूंकि मैं सोमवार को पैदा हुआ और उसी दिन मुझ पर कुरआन उतारा गया इसलिए मैं इस दिन रोज़ा रखता हूं। (दूखिएः सहीह मुस्लिम, ११६२)

७. दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजाः एक दिन रोज़ा रखना एक दिन रोज़ा छोड़ना इसको सौमे-दाऊद कहते हैं। (देखिएः बुखारी, ११५३, तथा मुस्लिम, ११५९)

ये कुछ वे रोज़े हैं जो अनिवार्य तो नहीं है, परन्तु इन रोज़ों का सवाब और पुण्य बहुत है। इसमें पुरूष तथा स्त्री दोनों सम्मिलित हैं। परन्तु स्त्री को चाहिए कि अगर वह नफ़्ल रोज़ा रखती है तो अपने पति से अनुमति ले ले। क्योंकि सहीह हदीस में आया है।

"किसी पत्नी के लिए उचित नहीं है कि पति के घर में होते हुए उससे अनुमति के बिना (नफ़्ल) रोज़ा रखे।" (देखिएः बुखारी, ५१९२, मुस्लिम १०२६)

अब कुछ ऐसे रोज़ों का वर्णन किया जाता है जिनका रखना मकरूह (नापसन्दीदा) है।

१. जीवन के रोज़ेः अर्थात् पूरे जीवन रोज़े रखना। इसको नापसन्दीदा (अप्रिय) कहा गया है। एक सहीह हदीस में आया है कि जिसने जीवन भर रोज़े रखे तो समझ लो उसने रोज़े रखे ही नहीं। (बुखारी, १९७९, तथा मुस्लिम,११५९)

२. केवल शुक्रवार का रोज़ा रखनाः जाबिर रजियल्लाहो तआला अन्हो से प्रश्न किया गया कि क्या नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने शुक्रवार के रोज़े से मना फ़रमाया है? तो उन्होंने कहा, "हां"। (देखिए : बुखारी, १९८४ तथा मुस्लिम ११४३)

एक दूसरी हदीस में है कि केवल शुक्रवार का रोज़ा मत रखो। उससे पहले का दिन मिला लो, या उसके बाद का दिन मिला लो। (बुखारी, १९८६ तथा मुस्लिम ११४४)

इसके नापसन्दीदा (अप्रिय) होने का एक कारण यह बताया गया है कि शुक्रवार ईद का दिन है, इसलिए अपने ईद के दिन को रोज़े का दिन मत बना लो। हां अगर उससे पहले एक दिन का रोज़ा रखना हो, या बाद के एक दिन का रोज़ा रखना हो तो कोई हरज नहीं।

३. रमज़ान के स्वागत के लिए एक या दो दिन पहले रोज़ा रखनाः नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने

इससे मना फ़रमाया है। (देखिएः बुखारी, १६१४ तथा मुस्लिम, १०८२)

४. ईदैन (अर्थात ईदुल-फ़ितर तथा ईदुल अज़्हा) को रोज़ा रखनाः नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इन दोनों ईदों के दिन रोज़ा रखने से मना फ़रमाया है। (देखिएः बुखारी, ११६७ तथा मुस्लिम, ८२७)

५. तशरीक़ के दिनों के रोज़ेः ज़िलहिज्जा की ११, १२ और १३ तिथियों को तशरीक़ के दिन कहा जाता है। जिनमें कुरबानी की जाती है। इसलिए एक हदीस में नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

''ये खाने-पीने और अल्लाह को स्मरण करने के दिन हैं। अर्थात् रोज़ा रखने के नहीं।'' (देखिएः मुस्मिल १०४२)

साद-बिन-अबी वक़्क़ास का कहना है कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मिना में मैं यह घोषणा कर दूं।

''ये खाने पीने के दिन हैं। इन दिनों में रोज़ा नहीं होता'' (मुस्नद अहमद, १:१६६)

इन दिनों में केवल वह हाजी रोज़ा रख सकता है जिस पर कुरबानी अनिवार्य हो, परन्तु वह कर न सकता हो, जिसकी ओर कुरआन संकेत करता है।

''तो जो कोई हज तक उमरे से लाभ उठाए (अर्थात तमत्तो हज करे) तो, वह जो कुरबानी कर सकता हो, करे और जिसे कुरबानी सुलभ न हो तो हज के दिनों में तीन दिनों के रोज़े रखे, और सात दिन के रोज़े जब तुम वापस हो, ये पूरे दस दिन हुए।'' (सूरा-२, अल-बक़रा, आयत-१६६)

अर्थात अगर वह तीन दिन हज से पहले रोज़ा न रख सका हो और तशरीक़ के दिनों में रखना चाहता हो तो रख सकता है। (देखिएः बुखारी, १६६६) यह विचार इब्ने-उमर तथा आइशा रज़ियल्लाहो तआला अन्हुमा का है और यही विचार दूसरे विद्वानों का भी है। नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से इस विषय में कोई सहीह हदीस नहीं आई है।

❑❑❑

(प्रेस रिलीज़)

रजब १४४६ का चाँद नज़र आ गया

दिल्ली, १ जनवरी २०२५

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ''मर्कज़ी अहले हदीस रूयते हिलाल कमेटी दिल्ली'' से जारी अखबारी बयान के अनुसार दिनांक २६ जुमादल उख़रा १४४६ हिजरी अर्थात १ जनवरी २०२५ को मग्रिब की नमाज़ के बाद अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला नई दिल्ली में ''मर्कज़ी अहले हदीस रूयते हिलाल कमेटी दिल्ली'' की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और सफ़रूल मुजफ्फर के चांद को देखने के सिलसिले में यथापूर्व देश के अधिकांश राज्यों की जमाअती इकाइयों के पदधारियों और समुदायिक संगठनों से फून के माध्यम से संपर्क किये गये जिसमें विभिन्न राज्यों से चांद को देखने की प्रमाणित खबर मिली। इस लिये यह फैसला किया गया कि २ जनवरी २०२५ को रजब की पहली तारीख होगी।

हराम वस्तुएं

सईदुर्रहमान सनाबिली

हर वह मश्रूब (पीने की चीज़) जो हानिकारक, गंदी, ज़हरीली और जान लेने वाली हो वह शरीअत की निगाह में हराम है। अगर यह सभी खराबियां किसी पीने की चीज़ में जमा हो जाएं या पाई जाएं तो शरीअत के एतबार से इनका इस्तेमाल दुरूस्त नहीं होगा। हराम पीने की चीज़ों में हम जिन वस्तुओं को शामिल कर सकते हैं उनमें से कुछ यह हैंः

शराब, ज़हर, चर्स, हुक्क़ा या इस जैसा दूसरा स्मोक, खून, इंसान का पेशाब, वह जानवर जिनके गोश्त नहीं खाए जाते या खाये जाते हैं उनके पेशाब और हर तरह के अपवित्र ड्रिंक्स या हर वह अपवित्र और हानिकारक ड्रिंक्स जिसमें अपवित्र चीज़ की मिलावट हो और जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं जिनसे अल्लाह तआला ने हमको रोका है।

शराब तमाम बुराइयों की जड़ है

इस्लाम धर्म ने शराब को हराम क़रार दिया है। शराब पीने से अक़्ल काम करना बंद कर देती है, वक़्ती तौर के लिए इंसान पागल जैसी हरकतें करने लगता है और अल्लाह ने शराब को हानिकारक और अपवित्र करार दिया है। अल्लाह ने शराब की ख़राबी बयान करते हुए फरमायाः

''ऐ ईमान वालो! बात यही है कि शराब और जुआ और थान और फ़ाल निकालने के पांसे के तीर यह सब गंदी बातें हैं, शैतानी काम हैं इनसे बिल्कुल अलग रहो ताकि तुम सफल रहो। शैतान तो यूं चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिया तुम्हारे आपस में दुश्मनी और हसद पैदा कर दे और अल्लाह तआला की याद और नमाज़ से तुमको दूर रखे इसलिए अब भी बाज़ आ जाओ।'' (सूरह अल माइदाः ९०-९१)

अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहो अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

''हर नशीली चीज़ शराब है और हर नशीली चीज़ हराम है और जिस शख्स ने दुनिया में शराब पी और इस हालत में मर गया कि वह शख्स शराब का रसिया हो गया और उसने तौबा नहीं की तो वह आखिरत में इसे नहीं पिएगा।'' (सहीह बुखारी ५५७५, सहीह मुस्लिमः २००३)

उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहो अन्हो कहते हैं कि ऐ लोगो! मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना हैः

जो शख्स अल्लाह पर और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता हो वह ऐसे दस्तरखान पर ना बैठे जहां शराब पी जा रही हो।'' (सुनन तिर्मिज़ी २८०३, सुनन नेसईः ४०१, मुस्नद अहमदः १४६५१, शैख अलबानी रह० ने हिदायतुर रूवात

४४०३ में इसे सहीह क़रार दिया है)

शराब पीने वाले की सज़ाः

अगर कोई शराब पीता है तो इसके हक़ में शरीअत ने यह सज़ा तय की है कि उसे जन्नत में तीनतुल खबाल पिलाया जाएगा। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं।

एक शख्स जैशान से आया, जैशान यमन में है। उसने नबी रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से अपने क्षेत्र के ड्रिंक्स के बारे में पूछा जिसको मकई से बनाया जाता है उसका नाम मिज्र था, नबी रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने पूछाः क्या वह नशा पैदा करता है? उसने कहाः हां, ऐ अल्लाह के रसूल! आप रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः हर नशा पैदा करने वाली चीज़ हराम है। निःसंदेह अल्लाह का अपने ऊपर यह संकल्प है कि जो शख्स नशा पैदा करने वाली चीज़ पिएगा वह उसको तीनतुल खबाल पिलायेगा। सहाबा ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! तीनतुल ख़बाल क्या है? आप रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जहन्नमियों का पसीना या फरमाया जहन्नमियों का निचोड़ा।'' (सहीह मुस्लिम २००२)

शराब की अवैधता और इसकी संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि शराब से संबंधित निम्न प्रकार के लोगों पर अल्लाह के रसूल रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने लानत की है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैंः

''अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने शराब की वजह से दस आदमियों पर लानत भेजीः इसके निचोड़ने वाले पर, इसके पीने वाले पर, इसके ले जाने वाले पर, इसके मंगवाने पर और जिसके लिए ले जाई जाये, उसके पिलाने वाले पर और उसके बेचने वाले पर, उसकी कीमत खाने वाले पर, उसके खरीदने वाले पर और जिसके लिए खरीदी गई हो उस पर। (सुनन तिर्मिज़ी १२९५, सुनन इब्ने माजा ३३८१, शैख़ अल्बानी रहिमाहुल्लाह ने इस हदीस को हसन सहीह क़रार दिया है)

इसी तरह शराब पीने वाला इंसान जन्नत में शराब से वंचित रहेगा मगर यह कि वह तौबा कर ले। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं।

''जिसने दुनिया में शराब पी फिर इससे तौबा नहीं की तो आख़िरत में वह इससे वंचित रहेगा।'' (सहीह बुखारीः ५५७५, सहीह मुस्लिम २००३)

शराब पीने वाले की दो हालतें हो सकती हैं।

१. शराब पीने वाले को शराब की अवैधता का ज्ञान हो लेकिन वह शराब की अवैधता से इनकार करता हो और शराब को जायज़ समझ रहा हो तो ऐसा शख़्स शराब को हलाल समझने की बुनियाद पर काफ़िर क़रार पाएगा। अगर यह शख्स इसी हालत में मर जाए तो वह जन्नत में नहीं जाएगा। इस जैसी बात हाफिज़ इब्ने हजर अस्क़लानी रहिमाहुल्लाह ने फत्हुल बारी १०/३२-३३ में कही है और बताया है कि ऐसा शख्स जन्नत में दाख़िल ही नहीं होगा तो शराब से लाभान्वित होने का सवाल ही नहीं पैदा होता।

२. कोई मुसलमान शराब की अवैधता पर विश्वास रखता हो लेकिन

शैतान के बहकावे में आकर पीता हो तो उसके बारे में मतभेद है कि क्या वह जन्नत में शराब की नेमत से लाभ उठा पाएगा या नहीं?

कुछ ओलमा ने कहा है कि इस हदीस में उसे एक तरह से चेतावनी दी गई है कि वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा जैसा की इमाम ख़त्ताबी रहिमाहुल्लाह ने मआलिमुस्सुनन २६५/४ में लिखा है।

इस कथन की बुनियाद दो बातों पर हैः

अ. जो जन्नत में दाखिल होगा तो उसे जन्नत में उसकी इच्छा के अनुसार नेमतें मिलेंगी और उनमें जन्नत की शराब भी होगी। कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

''जो हमारी आयतों पर ईमान लाए और थे भी वह (आज्ञाकारी) मुसलमान। तुम और तुम्हारी बीवियां राजी खुशी जन्नत में चले जाओ उनके चारों तरफ से सोने की रिकाबियां और सोने के गिलासों का दौर चलाया जाएगा उनके मन जिस चीज़ की इच्छा करेंगे और जिस चीज़ से उनकी आंखें लज्ज़त पायें, सब वहां होगा और तुम उसमें हमेशा रहोगो।'' (सूरह जुखरूफ़ः६८-७१)

ब. जन्नत में दाख़िल होने के बावजूद जन्नत में जाने वाले शख्स को जन्नत के शराब से वंचित करना एक तरह से सज़ा है और जन्नत में सज़ा नहीं होगी। इसलिए की जन्नत में जाने का मतलब अल्लाह की तरफ से मआफ़ी और उसकी सहमति मानी जाएगी।

इस बुनियाद पर हम यह कह सकते हैं कि इस चेतावनी और सज़ा का अर्थ यही है कि शराब का रसिया और शराब पीने वाला जन्नत में नहीं जाएगा लेकिन यहां एक बात याद रखने योग्य है कि इस सज़ा को जन्नत में न जाने का अर्थ लेने से तात्पर्य होगा कि वह पहली जमाअत के साथ जन्नत में नहीं जाएगा। इसका यह हर्गिज़ मतलब नहीं होगा कि वह हमेशा के लिए जन्नत में नहीं जाएगा क्योंकि अहले सुन्नत की यह आस्था है कि अगर कोई शख्स एकेश्वरवाद की आस्था की हालत में मर जाए तो वह हर हाल में जन्नत में जाएगा लेकिन ऐसा शख्स अपने गुनाह की सज़ा काटकर जन्नत में जाएगा।

इस कथन का आधार गोया कि शराब का रसिया शख्स जब मर जाता है तो वह वक़्ती तौर पर जन्नत की शराब से वंचित रहेगा और वह हमेशा के लिए इससे वंचित नहीं रहेगा।

इस सिलसिले में दूसरा कथन यह है कि यह हदीस अपने जाहिर पर है कि जो कोई शराबी शख्स मरेगा और वह जन्नत में भी जाएगा तो वह जन्नत में हमेशा के लिए शराब से वंचित रहेगा।

इस दृष्टिकोण का समर्थन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहो अन्हुमा कि इस हदीस से भी होता है जिसमें अल्लाह के रसूल रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मेरी उम्मत का कोई शख्स इस हालत में मरता है कि वह शराब पीता रहा हो तो अल्लाह तआला जन्नत में उसके लिए शराब को हराम कर देगा और अगर मेरी उम्मत का कोई शख्स इस हालत में मरता है कि वह सोना पहनता रहा हो तो अल्लाह तआला जन्नत में

उस पर सोना हराम कर देगा।'' (मुस्नद अहमद ११/५४०, हाफिज़ इब्ने हजर अस्क़लानी रहिमाहुल्लाह ने इसकी सनद को फतहुल बारी १०/३२ में और शेख़ अल्बानी रहिमाहुल्लाह ने सहीहुत तरग़ीब वत्तरहीब २/४६८ में हसन क़रार दिया है)

इस कथन के मानने वालों ने पहले कथन वालों की दलीलों का निम्नलिखित जवाब दिया है:

यह कहना कि जन्नती शख़्स का जन्नत में शराब से वंचित रहना मन में उठने वाली इच्छा के विपरीत होगा, इसका जवाब यह होगा कि अल्लाह तआला उसके दिल से शराब की इच्छा को खत्म कर देगा, फिर वह शराब की इच्छा ही नहीं करेगा और यही शराब से उसके वंचित हो जाने का कारण होगा।

यह कहना कि जन्नतियों को शराब से वंचित करना एक तरह से सज़ा होगी, सही नहीं है क्योंकि जन्नती को शराब से वंचित किया जाना अज़ाब और सज़ा की श्रेणी से नहीं होगा बल्कि उसके लिए यह नेमत कम कर दी जाएगी। हमें यह बात मालूम है कि जन्नत की विभिन्न श्रेणियां होंगी, अगर कोई शख़्स बुलंद श्रेणी से वंचित होगा तो वह इस वजह से दुखी नहीं होगा बल्कि वह अल्लाह के एहसानात से प्रसन्न होगा, जन्नत की शराब से वंचित होने का मामला भी इसी श्रेणी से होगा।

इस्लाम ने सेहत के एतबार से जो चीज़ें लाभदायक हैं उन्हें खाने-पीने को जायज़ क़रार दिया है लेकिन जिन चीज़ों से शरीर को नुकसान पहुंचता है उन्हें हराम क़रार दिया है। खाने पीने की चीज़ों में असल आदेश वैधता है मगर यह कि तमाम खाने पीने की चीज़ें जायज़ हैं और उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर हम किसी चीज़ को हराम और नाजायज़ बताते हैं तो हम पर अनिवार्य होगा कि हम उसके हराम होने की दलील पेश करें। (अल मबसूत, लेखक: सर्खसी ६८/२४, अत्तमहीद, लेखक: इब्ने अब्दुल बर्र ४/१४२, फ़तहुल अज़ीज़, लेखक: राफई १२/१२३, अल इन्साफ, लेखक: मरदावी १०/३५४)

जब हम इस बुनियाद की दलीलें क़ुरआन और हदीस के संग्रह में तलाश करने का प्रयास करते हैं तो असंख्य क़ुरआन की आयतें और हदीसें मिलती हैं जिस से पता चलता है कि चीज़ों में असल हलाल का हुक्म है और हुर्मत पर दलील चाहिए। यहां पर इस अर्थ की चंद आयतें और हदीसें पेश की जा रही हैं जिनसे यह नियम लिया गया है। क़ुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है: ''वह अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की तमाम चीज़ों को पैदा किया।'' (सूरह बक़रह:२९)

क़ुरआन में अल्लाह तआला ने अधिकृत फरमाया: ''और उसी ने सृष्टि के लिए ज़मीन बिछा दी।'' (सूरह रहमान:१०)

इसी तरह फरमाया: ''लोगो! ज़मीन में जितनी भी हलाल और पवित्र चीज़ें हैं उन्हें खाओ पियो और शैतान की राह पर न चलो, वह तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है।'' (सूरह बक़रह: १६८)

अल्लाह तआला ने अधिकृत फरमाया: ''ऐ ईमान वालो! जो पवित्र चीज़ें हमने तुम्हें दे रखी हैं, उन्हें खाओ पियो और अल्लाह का शुक्र

अदा करो, अगर तुम खास उसी की इबादत करते हो।'' (सूरह बक़रहः१७२)

इन सभी आयतों से यह पता चलता है कि ज़मीन पर मौजूद सभी खाने-पीने की चीज़ें हलाल हैं क्योंकि अल्लाह तआला ने इन चीज़ों को इस्तेमाल करने और उन्हें खाने-पीने की शिक्षा दी है और मानव जगत पर उपकार जताया है कि उसने ज़मीन में मौजूद खाने पीने की जो चीज़ें दी हैं। वह इस बात की दलील है कि ज़मीन में मौजूद खाने-पीने की सभी चीज़ें जायज़ हैं, अगर हम किसी चीज़ को जायज़ कहते हैं तो हमें कुरआन और हदीस से दलील पेश करनी होगी। अगर हम दलील नहीं पेश कर सकते तो अपने दावे में सच्चे नहीं हैं, बल्कि अल्लाह तआला की इस चेतावनी के पात्र ठहरेंगे जिसमें अल्लाह तआला ने फरमाया हैः

''किसी चीज़ को अपनी ज़ुबान से झूठ मूट ना कह दिया करो कि यह हलाल है और यह हराम है कि अल्लाह पर झूठा आरोप बांधों, समझ लो कि अल्लाह पर झूठा आरोप लगाने वाले सफलता से वंचित रहते हैं। (सूरह नहलः११६)

❑❑❑

जमाअती ख़बर

मर्कज़ी जमीअत के सम्माननीय अमीर ने आसाम का दौरा किया

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी ने ३ जनवरी २०२५ को गोहाटी दक्षिण गांव अहले हदीस जामा मस्जिद में आयोजित जुमा की नमाज़ के बाद एक समाज सुधारक सभा से संबोधित करते हुए कहा कि इस्लाम की शिक्षाओं को अपनाने के साथ इनको दूसरों तक पहुंचाने की ज़रूरत है ताकि इस्लाम से संबन्धित गलत फहमियों का निवारण हो सके। इस अवसर पर अमीर मोहतरम ने सूबाई जमीअत के अमीर शेख मकसूदुर्रहमान मदनी, नायजब अमीर हिफजुर्रहमान मदनी आदि से जमाअती व तालीमी मसाइल पर विचार विनयम किया।

पयामे अम्न कांफ्रेन्स

जामिया मिस्बाहुल उलूम आज़म नगर पोस्ट जीरन गाछ, थाना ठाकुर गंज किशन गंज में २१ दिसंबर २०२४ को पयामे अम्न के शीर्षक पर मर्कज़ी जमीअत के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी की अध्यक्षता में कांफ्रेन्स का आयोजन हुआ जिस में अमीर मोहतरम ने राष्ट्रीय एकता, प्रेम भाव और भाई चारा की नसीहत करते हुए अम्न व शान्ति को बढ़ावा देने और समाज में एक दूसरे का सहयोग और ख्याल रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस कांफ्रेन्स में कई राज्यों से ओलमा ने भाग लिया और कांफ्रेन्स से संबोधित किया।

(१६-३१ जनवरी जरीदा तर्जुमान २०२५)

पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के उपदेश एवं शिक्षाएं

आइशा रज़ियल्लाहो तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बयान करती हैं आपने फरमायाः मुर्दों को बुरा भला न कहो क्योंकि मुर्दों ने जो कुछ किया था उसका बदला उन्हें मिल चुका। (बुखारी-५४)

आइशा रज़ियल्लाहो तआला अन्हा नबी सल्लल्लहो अलैहि वसल्लम से बयान करती हैं नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम जुहर की नमाज़ से पहले चार रकअत नहीं छोड़ते थे और दो रकअत फज्र से पहले। (बुखारी)

आइशा रज़ियल्लाहो तआला अन्हा नबी सल्लल्लहो अलैहि वसल्लम से बयान करती हैं नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम तमाम कामों में दायें साइड को पसन्द करते थे, पाकी हासिल करने में, कंघी करने में और जूता पहनने में। (बुखारी)

आइशा रज़ियल्लाहो तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अल्लाह को हर वक़्त याद करते थे। (मुस्लिम)

अनस रज़ियल्लाहो तआला अन्हो नबी से बयान करते हैं आप ने फरमायाः बेशक सब्र पहले दुख के वक्त है। (बुखारी, मुस्लिम)

अनस रज़ियल्लाहो तआला अन्हो नबी सल्लल्लहो अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं आप ने फरमायाः तीन चीज़ें मय्यत के साथ जाती हैं और दो चीज़ें लौट आती हैं और एक चीज़ बाकी रह जाती है उसके परिवार वाले उसका माल और उसका अमल उसके साथ जाता है लेकिन उसके परिवार उसका माल लौट आता है और उसका अमल बाकी रह जाता है। (बुखारी-मुस्लिम)

अनस रज़िअल्लाहो तआला अन्हो नबी सल्लल्लहो अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं आप ने फरमायाः आसानी पैदा करो और मुश्किल न पैदा करो, खुशखबरी सुनाओ और घृणा की बातें न करो। (बुखारी, मुस्लिम)

अनस रज़ियल्लाहो तआला अन्हो नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं आपने फरमायाः अपनी सफों को बराबर करो, बेशक सफों को बराबर करना नमाज़ की दुरूस्तगी में से है। (बुखारी, मुस्लिम)

अनस रज़ियल्लाहो तआला अन्हो नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं आपने फरमायाः बेशक अल्लाह बन्दे से खुश रहता है क्योंकि वह खाता है तो इस पर अल्लाह की हम्द बयान करता है और पानी पीता है तो इस पर भी अल्लाह की हम्द बयान करता है। (मुस्लिम)

इब्ने उमर रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः रात में अपनी नमाज़ के आखिर में वित्र पढ़ो। (बुखारी-मुस्लिम)

इब्ने उमर रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः लोगों से भीक मांगने वाला आदमी क्यामत के दिन इस हाल में आये गा कि उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा। (बुखारी, मुस्लिम)

इब्ने उमर रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जिसकी अस्र की नमाज़ छूट गयी तो गोया कि वह अपने माल और आल औलाद से काट दिया गया। (बुखारी-मुस्लिम)

इब्ने उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मुसलमान मुसलमान का भाई है न वह जुल्म करता है और न उसको दुख पहुंचाता है जो अपने भाई की जरूरत का ख्याल रखता है अल्लाह उसकी जरूरत पूरी करता है और जिसने किसी मुसलमान की किसी परेशानी को दूर कर दिया अल्लाह तआला क्यामत के दिन उसकी परेशानी में से किसी परेशानी को दूर कर देगा और जिसने किसी मुसलमान के ऐब को छुपाया अल्लाह तआला क्यामत के दिन उसके ऐब को छुपाये गा। (बुखारी, मुस्लिम)

इब्ने उमर रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मेरे दोनों कनधों को पकड़ा और कहा तुम इस दुनिया में मुसाफिर या रास्ता पार करने वाले की तरह रहो। (बुखारी)

सालिम अपने बाप रजियल्लाहो अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः हसद केवल दो चीज़ों में है एक आदमी वह है जिसको अल्लाह ने कुरआन दिया तो वह उसकी रात और दिन में तिलावत करता है और एक आदमी वह है जिस को अल्लाह ने माल दिया तो वह उस माल को रात और दिन में खर्च करता है। (बुखारी, मुस्लिम)

जाबिर रजियल्लाहो तआला अन्हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं आप ने फरमायाः बायें से न खाओ क्योंकि बायें से शैतान खाता है। (मुस्लिम)

जाबिर रजियल्लाहो तआला अन्हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं आप ने फरमायाः जो अल्लाह से मुलाकात करेगा और उसके साथ किसी को साझीदार नहीं बनाया होगा तो वह जन्नत में दाखिल होगा और जो अल्लाह से मुलाकात करे गा और उसने उसके साथ किसी को साझीदार बनाया होगा तो जहन्नम में दाखिल होगा। (मुस्लिम)

जाबिर रजियल्लाहो तआला अन्हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं आप ने फरमायाः बेशक आदमी शिर्क और कुफ्र के बीच का फर्क़ नमाज़ का छोड़ना है। (मुस्लिम)

जाबिर रजियल्लाहो तआला अन्हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं आप ने फरमायाः हर बन्दा अपने कर्म के अनुसार उठाया जाये गा। (मुस्लिम)

नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की बाज़ बीवियां बयान करती हैं आपने फरमायाः जो किसी अर्राफ (भविश्य या गैब की बातें बताने वाला) के पास गया और उसने किसी चीज़ के बारे में पूछा तो उसकी चालीस रातों की नमाज़ कुबूल नहीं होगी। (मुस्लिम)

जाबिर रजियल्लाहो तआला अन्हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं आप ने फरमायाः बेशक आदमी शिर्क और

कुफ़्र के बीच का फर्क़ नमाज़ का छोड़ना है। (मुस्लिम)

जाबिर रजियल्लाहो तआला अन्हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं आप ने फरमायाः हर बन्दा अपने कर्म के अनुसार उठाया जाये गा। (मुस्लिम)

नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की बाज़ बीवियां बयान करती हैं आपने फरमायाः जो किसी अर्राफ (भविश्य या गैब की बातें बताने वाला) के पास गया और उसने किसी चीज़ के बारे में पूछा तो उसकी चालीस रातों की नमाज़ कुबूल नहीं होगी। (मुस्लिम)

इब्ने मसऊद रजियल्लाहो तआला अन्हो रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप ने फरमायाः क्यामत के दिन अल्लाह के यहां सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब तसवीर बनाने वाले को दिया जायेगा। (बुखारी, मुस्लिम)

इब्ने मसऊद रजियल्लाहो तआला अन्हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं आप ने फरमायाः जिस ने रात में सूरे बक़रा की आखिरी दो आयतें पढ़ीं यह उसके लिये काफी हो जायें गी। (बुखारी)

साबित बिन जह्हाक रजिअल्लाहो तआला अन्हो नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप ने फरमायाः मोमिन पर लानत करना उसके कत्ल के समान है। (बुखारी, मुस्लिम)

अबू ज़र रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः छोटी सी भलाई को हक़ीर (मामूली) न समझो और अगर अपने भाई से मिलो तो उससे हंसते हुये मिलो। (मुस्लिम)

ईशदूत हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने फरमाया तुम एक दूसरे से डाह (हसद) न करो, तुम ध ोका देने के लिये सामान की कीमत ज्यादा मत लगाओ, तुम आपस में कीना कपट दुश्मनी मत रखो, एक दूसरे से संबन्ध न तोड़ो और तुम में से कोई दूसरे से क्रय विक्रय के मामले में चढ़ा ऊपरी न करे। (सहीह मुस्लिम)

अबू हुरैरह रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि ईश्दूत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम हसद से बचो इसलिये कि हसद नेकियों को ऐसे ही खा जाती है जैसे कि आग ईंध ान को खा जाती है।

अबू दर्दा रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जब कोई भी मुस्लिम बन्दा अपने किसी भाई की उसकी गैरमौजूदगी में उसके लिये दुआ करता है तो फरिश्ता कहता है तुम्हारे लिये ऐसी ही दुआ हो। (मुस्लिम)

मुआविया रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जिसके साथ अल्लाह भलाई करने का इरादा करता है तो उसको दीन की समझ दे देता है। (बुखारी, मुस्लिम)

अबू सईद खुदरी रजियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जब तुम मुअज़्ज़िन की आवाज़ सुनो तो वैसे ही कहो जिस तरह मुअज़्ज़िन कहता है। (बुखारी, मुस्लिम)

❑ ❑ ❑

भलाई और सफलता की राह

मौलाना अबुल कलाम आज़द रह०

मां बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो, रिश्तेदारों के अधिकारों से ग़ाफिल न हो, गरीबों, मुसाफिरों और पड़ोसियों की देख भाल करते रहो, पड़ोसी चाहे रिश्तेदार हो चाहे अजनबी, हर हाल में अच्छे व्यवहार का पात्र है। इसी तरह जो तुम्हारे साथ उठने बैठने वाले हों और गुलाम जो तुम्हारे अधीन हैं उनके भी तुम पर अधिकार हैं। ज़रूरी है कि सबके साथ मुहब्बत और भलाई से पेश आओ।

कंजूसी न करो, अल्लाह ने जो कुछ दिया है उसके बन्दों की सेवा में ख़र्च करो, जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है उसका हाथ अल्लाह की राह में खर्च करने से कभी नहीं रूक सकता, लेकिन जो कुछ खर्च करो अल्लाह के लिये करो, दिखावे के लिये न करो।

सामूहिक जीवन में सिस्टम और सफलता का मूल सिद्धांत यह है कि जो जिस बात का हक़दार हो, उसके हक़ (अधिकार) का एतराफ करो और जो चीज़ जिसे मिलनी चाहिए वह उसके हवाले कर दो, वारिस का हक़ दो, यतीम का माल दो, कर्जदार का कर्ज दो, एमानत रखने वाले की एमानत दो, क्षमता रखने वाले के लिये पद दो, जो जिस का हक़ हो और जो जिस का सक्षम हो उसे मिलना चाहिए।

मुसलमानों को चाहिए कि दुनिया की कोई चीज़ उन्हें सच कहने से न रोक सके, अगर किसी मामले में सच्चाई खुद उनकी ज़ात के खिलाफ हो उनके मां बाप और रिश्तेदारों के खिलाफ हो, जब भी उन्हें सच बात ही कहनी चाहिए वह सिर्फ सच्चाई ही के लिये दिल व जुबान रखते हैं।

कुरआन की सूरे माइदा में साफ साफ फरमाया गया है कि ''ऐसा न हो कि किसी गरोह की दुश्मनी तुम्हें इस बात के लिये उभारे कि उसके साथ इन्साफ न करो, हर हाल में इन्साफ करो कि यही तक़्वा से लगती हुई बात है और अल्लाह की नाफरमानी के नताइज से डरो तुम जो कुछ करते हो वह इसकी खबर रखने वाला है''।

दूसरों के मामले में उनका सिद्धांत यह होना चाहिए कि नेकी के कामों में सबकी मदद करें, बुराई के काम में किसी की मदद न करें, कोई जुल्म करे तो यह बुराई है, इससे बचें, कोई हज को जाए तो यह भलाई है उसके सहायक बनें। अर्थात नेकी और परहेज़गारी के हर काम में सहयोग, गुनाह और जुल्म की हर बात में असहयोग हर मुसलमान के लिये बुनियादी कार्य है।

सफलता की राह सच्ची खुदा परस्ती और नेक कामों वाली जिन्दगी से हासिल होती है। असल चीज़ दिल की पवित्रता और नेक अमल है। अल्लाह का कानून यह है कि हर व्यक्ति को वही पेश आता है जो उसने अपने अमल से कमाया है, न तो एक की नेकी दूसरे को बचा सकती है और न एक के कुकर्म के लिये दूसरा जवाबदेह हो सकता है। ***(रहमते आलम पृष्ठ ११६-११८ सारांश)***

फ़िरऔन का अंजाम

फ़िरऔन का शाब्दिक अर्थ है 'सूरज का पुत्र'। चूंकि मिस्र के लोग सूर्य की पूजा करते थे, इसलिए वे अपने राजा को 'फिराऔन' की उपाधि देते थे। उनका विचार था कि उनका राजा सूर्य का अवतार है, इसी लिए वे उसकी पूजा करते थे। इससे मालूम होता है कि फिरऔन किसी राजा का नाम नहीं है, बल्कि यह मिस्र के राजाओं की उपाधि है, जैसे रोम के राजा को 'कैसर' ईरान के राजा को 'किसरा' तुर्की के राजा को 'खाकान' कहा जाता था इसी प्रकार मिस्र के राजा को फिरऔन कहते थे। बाइबल में जिन फिरऔनों का वर्णन नामों के साथ आया है, वे पांच हैं। ये सब मूसा के काल के बाद के हैं। उन पांचों फिरऔनों के नाम ये हैं।

१. शीशक, २. शो, ३. नको, ४. हफ़रा और ५. तिर्हाक। इनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है।

१. शीशकः यह सुलैमान अलैहिस्सलाम के समय मिस्र का राजा था। जब सुलैमान ने यारोबाम से बदला लेना चाहा तो वह शीशक के पास भाग गया और सुलैमान की मृत्यु तक वहीं रहा। (देखिएः १ राजा ११:४०)

२. शोः इसराईल के राजा होशे ने मिस्र के राजा फ़िरऔन शो से अशूर के राजा शल्मनेसेर के विरूद्ध सहायता मांगी, परन्तु शो उसकी कोई सहायता न कर सका, यहां तक कि राजा शल्मनेसेर विजयी हुआ और तीन वर्ष तक इसराईली राज्य उसके हाथ में रहा। (देखिएः २ राजा, १७:३-४)

३. तिर्हाकः यह हब्शा का राजा था। लगभग ६८८ ईसा पूर्व मिस्र का राजा बन गया। (देखिएः २ राजा, १६ः ९ तथा यशायाह, ३७:६)

४. नकोः इसने मिस्र पर ६०६-५८३ ईसा पूर्व तक राज्य किया। यह मिस्र का पहला शासक है जिसने लाल सागर को सफ़ेद सागर से मिलाने की कोशिश की। परन्तु लाखों लोगों को मौत के घाट उतारे जाने के बाद उसने अपना विचार बदल लिया। ढाई हज़ार वर्ष के बाद मिस्रियों ने एक नहर की खुदाई की और उसको स्वेज नहर का नाम दिया।

५. हफ़राः जो राजा नको का उत्तराधिकारी बना।

ये वे पाँच फिरऔन हैं जिनके नाम बाइबल में आए हैं। रहे वे फ़िरऔन, जिनका वर्णन बाइबल में तो आता है, परन्तु उनके नामों का पता नहीं चलता वे हैंः इबराहीम, यूसुफ़ और मूसा अलैहिस्सलाम के समय के फ़िरऔन। इसलिए इतिहासकारों में इनके नामों के विषय में मतभेद पाया जाता है। कुरआन में मूसा के समय के फ़िरऔन का वर्णन चौहत्तर बार आया है। विद्वानों का विचार है कि जिस फ़िरऔन के दरबार में आप पले-बढ़े उसका नाम 'सिमत' था। कोई उसको 'पथामीन' बताता है तो कोई 'रामसीस तृतीय' कहता है। एक दूसरा विचार है कि जिस फ़िरऔन के दरबार में आप पले-बढ़े वह 'रामसीस द्वितीय' था, जिसने (१५२७-१४०७) ईसा पूर्व से शासन का आरंभ किया और जिसके दरबार में आप अल्लाह का संदेश लेकर गए वह मिन्फ़ताह था और फिर इसी फ़िरऔन ने आप का और इसराईलियों का पीछा किया और अन्त में दरिया में डूब मरा।

कुरआन चूंकि अल्लाह का

संदेश है, जिसका उद्देश्य सम्पूर्ण मानव-जाति का मार्गदर्शन है, इसलिए उसने इस प्रकार की अनावश्यक बातों का वर्णन नहीं किया। इसी लिए यहाँ उसका बहुत संक्षेप में वर्णन किया गया है। वास्तव में हमें यह देखना है कि कुरआन ने फ़िरऔन को किस रूप में प्रस्तुत किया है, हम इससे क्या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।

इसलिए हमें यह देखना चाहिए कि फ़िरऔन ने मूसा और बनी-इसराईल के साथ कैसा व्यवहार किया और फिर उसका क्या अंजाम हुआ।

१. फ़िरऔन बनी-इसराईल के बेटों को मार डालता था और उनकी स्त्रियों को जीवित रखता था।

''याद करो जब हमने तुम्हें फ़िरऔन और उसकी जाति से छुटकारा दिलाया। वे तुम लोगों को अत्यन्त बुरी यातना देते थे, तुम्हारे बेटों को मार डालते थे और तुम्हारी स्त्रियों को जीवित रहने देते थे, और तुम्हारे रब की ओर से बड़ी परीक्षा थी।''(कुरआन, सूरा-२, अल-बक़रा, आयत-४६)

२. फ़िरऔन और उसकी जाति ने अल्लाह की भेजी हुई खुली निशानियों को ठुकरा दिया।

''फिर उनके बाद हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फ़िरऔन और उसके सरदारों के पास भेजा, परन्तु उन्होंने इन निशानियों के साथ जुल्म किया। तो देखो, इन बिगाड़ पैदा करने वालों का क्या परिणाम हुआ।''(कुरआन, सूरा-७, अल-आराफ़, आयत-१०३)

३. फ़िरऔन ने जादूगरों को बुलाकर मूसा के संदेश को भ्रष्ट करने का प्रयत्न किया। परन्तु जब मूसा ने जादूगरों को पराजित कर दिया, और जादूगर मूसा पर ईमान ले आए तो वही फ़िरऔन अत्याचार पर उतर आया, और जादूगरों को धमकी देने लगा कि मैं तुम सबको फाँसी पर लटका दूंगा। इसका वर्णन कुरआन में बड़े विस्तार से आया है, जिसको यहाँ बयान किया जा रहा है।

''फ़िरऔन ने कहा, ''यदि तू कोई निशानी लेकर आया है तो उसे पेश कर, यदि तू सच्चे लोगों में से है।'' तब उसने अपनी लाठी (धरती पर) मारी। कया देखते हैं कि वह एक प्रत्यक्ष अजगर था। और उसने अपना हाथ बाहर निकाला तो देखने वालों ने देखा कि वह चमक रहा है। फ़िरऔन की जाति के सरदार कहने लगे, ''निश्चय ही यह बड़ा जानकार जादूगर है। तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से निकाल देना चाहता है, तो अब तुम क्या कहते हो?'' उन्होंने कहा, ''इसे और इसके भाई (हारून) को प्रतीक्षा में रखो और इकटठा करने वालों को नगरों में भेज दो कि वे हर जानकार जादूगर को तेरे पास ले आएं।'' और (ऐसा ही हुआ) जादूगर फ़िरऔन के पास आ गए। उन्होंने कहा, ''यदि हम जीत गए तो हमें अवश्य इसका बदला मिलेगा।'' कहा, ''हां, और निश्चय ही तुम क़रीबी लोगों में से हो जाओगे।'' उन्होंने कहा, ''ऐ मूसा! या तो तुम (अपना अंछर) फेंको या हम फेंकें।'' उसने कहा, ''तुम ही फेंको।'' उन्होंने फेंका तो लोगों की आँखों पर जादू कर दिया और उन्हें डरा दिया, और उन्होंने बहुत बड़ा जादू दिखाया।

हमने मूसा की ओर 'वहय' की, ''अपनी लाठी (धरती पर) डाल दो।'' फिर क्या था वह उनके रचे हुए स्वांग को निगलने लगी। इस तरह सच्चाई साबित हो गई और जो कुछ वे करते थे मिथ्या हो कर रहा। इस तरह वे वहाँ परास्त हुए और उल्टे अपमानित हो गए। और

जादूगर सजदे में गिर पड़े। कहने लगे, "हम सारे संसार के रब पर ईमान लाए, जो मूसा और हारून का रब है" फ़िरऔन ने कहा, "इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाज़त देता, तुम उसपर 'ईमान' ले आए। निश्चय ही यह चाल है जो तुम लोग इस नगर में चले हो, ताकि तुम लोगों को यहाँ से निकाल दो, तो अब तुम्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा। मैं तुम्हारे हाथ-पांव विपरीत दिशाओं से कटवा दूंगा। फिर तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा।" बोले, "हम तो अपने रब की ओर पलटने वाले ही हैं। तुम हमसे केवल इस लिए बैर रखते हो कि हमारे रब की निशानियाँ जब हमारे पास आ गईं तो हम उन पर ईमान ले आए। हमारे रब! हम पर सब्र के दहाने खोल दे और हमें (इस लोक से) इस दशा में उठा कि हम मुस्लिम (आज्ञाकारी) हों।" और फ़िरऔन की जाति के सरदारों ने कहा, "क्या तू मूसा और उसकी जातिवालों को ऐसे ही छोड़ देगा कि वे धरती में फ़साद फैलाएं और वह तुझे और तेरे 'इलाहों' को छोड़ बैठें?" उसने कहा, "हम उनके बेटों को बुरी तरह क़त्ल करेंगे और उनकी स्त्रियों को जीवित रहने देंगे, और हमें उन पर पूर्ण आधिपत्य प्राप्त है।" (सूरा-७, अल-आराफ़, आयतें-१०६-१२७)

४. फ़िरऔन बहुत बड़ा घमंडी था।

"निश्चय ही फ़िरऔन धरती पर बड़ा घमंडी था और निश्चय ही वह सीमा से बाहर होने वालों में था।" (कुरआन, सूरा-१०, यूनुस, आयत-८३)

"अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वे फ़िरऔन के पास जाएं क्योंकि वह बड़ा विद्रोही बन गया है।" (देखिएः सूरा-२०, ता-हा, आयत-२४)

"निश्चय ही फ़िरऔन धरती पर बड़ा घमंडी बन गया था, और उसने धरती के निवासियों को जत्थों में बाँट दिया था, फिर उनमें से एक जत्थे को कमज़ोर करता, उनके बेटों की हत्या करता, और स्त्रियों को जीवित रहने देता। निश्चय ही वह उपद्रव करने वालों में से था।" (कुरआन, सूरा-२८, अल-क़सम, आयत-४)

५. फ़िरऔन ने अपने बारे में ईश्वर होने का दावा कया।

"फ़िरऔन ने कहाः ऐ सरदारों! मैं तो अपने अतिरिक्त किसी और ईश्वर को नहीं जानता।" (कुरआन, सूरा-२८, अल-क़सस, आयत-३८)

"फिर लोगों को इकटठा किया, और पुकारकर कहने लगाः मैं तुम्हारा सर्वोच्च रब (पालनहार प्रभु) हूँ"। (सूरा-७६, अन-नाज़िआत, आयतें-२३,२४)

फ़िरऔन का अन्तः

जब इसराईली मिस्र से निकल रहे थे तो फ़िरऔन ने अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया और समुद्र के निकट उनको घेर लिया। अल्लाह के हुक्म से मूसा ने समुद्र में लाठी मारी और वह दो भागों में बट गया।

"तब हमने मूसा की ओर वह्य की कि अपनी लाठी समुद्र पर मारो, तो वह फट गया, और उसका प्रत्येक टुकड़ा एक बड़े पहाड़ की भाँति हो गया।" (कुरआन, सूरा-२६, अश शुअ्रा, आयत-६३)

इसराईली तो समुद्र के बीच मार्ग बन जाने के कारण पार हो गए, परन्तु जब फ़िरऔन ने अपनी सेना के साथ समुद्र मार्ग में प्रवेश किया तो समुद्र के दोनों भाग आपस में जुड़ गए और उसकी सारी सेना डूब गई। परन्तु अल्लाह ने फ़िरऔन के शव को डूबने से बचा लिया और उसको समुंद्र के बाहर फेंक दिया, ताकि वे लोग जो उसको ईश्वर बना बैठे थे, और जो स्वयं अपने बारे में

कहता था कि मैं तो तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ रब हूं, उसका दर्दनाक अंजाम देखें।

''आज हम तेरे (मृत) शरीर को बचा लेंगे, ताकि जो लोग तेरे पीछे रह गए हैं उनके लिए तू एक निशानी (इबारत) बन जाए।'' (कुरआन, सूरा-१०, यूनुस, आयत-६२)

कुछ भाव्यकारों ने कहा है कि कुरआन की यह आयत उस शव की ओर संकेत करती है, जो आज क़ाहिरा के म्यूज़ियम में रखा है, और जिसके विषय में लोगों का विचार है कि यह वही फ़िरऔन है, जो समुद्र में डूबा और अल्लाह ने उसके शव को बचा लिया। ऐसा कहने वाले लोग दो प्रकार की ग़लती करते हैं।

एक तो यह कि कुरआन से यह सिद्ध नहीं होता कि उसका शव क़ियामत तक बाक़ी रहेगा या कम से कम हज़ार वर्ष तक रहेगा, क्योंकि उसके शव को दरिया से बाहर फेंकने का मुख्य कारण केवल उन लोगों को दिखाना था कि देखो तुम्हारा रब आज किस दशा में है? और यह उद्देश्य प्राप्त हो गया।

दूसरी ग़लती यह है कि यह बात अभी तक सिद्ध नहीं हो सकी हैं कि यह उसी फ़िरऔन का शव है जो मूसा के समय में था और समुद्र में डूबा था, बल्कि अब तक लोग इस विषय में किसी अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुंच सके हैं और अगर पहुंच भी जाएं तो कोई अन्तर नहीं पड़ता। इसलिए आयत में जो 'निशानी' कहा गया है, तो उसका अर्थ यह है कि यह निशानी है उसकी जातिवालों के लिए और शिक्षा है क़ियामत तक आने वाले सारे मनुष्यों के लिए कि जो अल्लाह को छोड़कर किसी अन्य को अपनी पूज्य बना लेते हैं तथा लोगों पर अत्याचार करते हैं उनका अन्त भी ऐसा ही होगा, जैसा फ़िरऔन का हुआ।

बाइबल में फ़िरऔन और उसकी सेना के डूबने का वर्णन कुछ इस प्रकार आया है।

''फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और सवेरा होते-होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों अपने स्थान पर आ गया और मिस्री उलटे भागने लगे, परन्तु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया। जल के पलटने से जितने रथ और सवार इसराईलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वे सब बल्कि फिरऔन की सारी सेना उसमें डूब गई, और उसमें से एक भी न बचा। परन्तु इसराईली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाई दोनों ओर दीवार का काम देता था। यहोवा ने उस दिन इसराईलियों को मिस्रियों के वश से इस प्रकार छुड़ाया। इसराईलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखां यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था उसको देखकर इसराईलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा और उसके सेवक मूसा पर विश्वास किया।'' (देखिएः निर्गमन, १४:२६-३१)

यहाँ जो यह कहा गया है कि, ''इसराईलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा।'' उनमें फ़िरऔन का शव भी हो सकता है, बल्कि उसका शव अवश्य ही रहा होगा, ताकि स्वयं इसराईलियों का एक गरोह जो फ़िरऔन की मृत्यु के बारे में शंकाग्रस्त था और अभी भी डरा हुआ था, उसको विश्वास हो जाए कि अब वह फ़िरऔन की पकड़ से बचकर निकल गए हैं''।

(सधन्यवाद, कुरआन मजीद की इन्साइकलोपीडिया)

❑❑❑

गाँव महल्ला में सुबह शाम पढ़ाने के लिये मकातिब क़ाइम कीजिए मकातिब में तजवीद और कुरआन की शिक्षा का आयोजन कीजिये

हज़रात! पवित्र कुरआन इन्सानों और जिन्नों के नाम अल्लाह का अंतिम सन्देश है जो आखिरी नबी पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ जो मार्गदर्शन का स्रोत, इबरत व उपदेश का माध्यम, दीन व शरीअत और तौहीद व रिसालत का प्रथम स्रोत है जिस का अक्षर-अक्षर ज्ञान और हिक्मत व उपदेश के मोतियों से परिपूर्ण है जिस का सीखना सिखाना, और तिलावत सवाब का काम और जिस पर अमल सफलता और दुनिया व आखिरत में कामयाबी का सबब और ज़मानत है और कौमों की इज़्ज़त व जिल्लत और उत्थान एवं पतन इसी से सशर्त है। यही वजह है कि मुसलमानों ने शुरूआत से ही इसकी तिलावत व क़िरत और इस पर अमल का विशेष एहतमाम किया। हिफ्ज व तजवीद और कुरआन की तफसीर के मकातिब व मदारिस काइम किए और समाज में इस की तालीम व पैरवी को विशेष रूप से रिवाज दिया जिस का परिणाम यह है कि वह कुरआन की बरकत से हर मैदान में ऊंचाइयों तक पहुंचे लेकिन बाद के दौर में यह उज्जवल रिवायत दिन बदिन कमजोर पड़ती गई स्वयं उप महाद्वीप में कुरआन की तालीम व तफसीर तो दूर की बात तजवीद व किरात का अर्से तक पूर्ण और मजबूत प्रबन्ध न हो सका और न इस पर विशेष ध्यान दिया गया जबकि कुरआन सीखने, सिखाने, कुरआन की तफसीर और उसमें गौर व फिक्र के साथ साथ तजवीद भी एक अहम उददेश था और नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इस की बड़ी ताकीद भी फरमाई थी।

शुक्र का मकाम है कि चन्द दशकों पहले मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द सहित विभिन्न पहलुओं से शिक्षा जागरूकता अभियान के परिणाम स्वरूप, मदर्सों, जामिआत, और मकातिब व मसाजिद में पवित्र कुरआन की तजवीद का मुबारक सिलसिला शुरू हुआ था जिस के देश व्यापी स्तर पर अच्छे परिणाम सामने आए। पूरे देश में मकातिब बड़े स्तर पर स्थापित हुए और बहुत सी बस्तियों में मकतब की तालीम के प्रभाव से बच्चों का मानसिक रूप से विकास होने लगा लेकिन रोज़ बरोज़ बदलते हालात के दृष्टिगत आधुनिक पाठशालाओं, कन्वेन्ट्स और गांव में मदारिस की वजह से मकातिब बहुत प्रभावित हुए इस लिये मकातिब को बड़े और अच्छे स्तर पर विकसित करने की ज़रूरत है ताकि नई पीढ़ी को दीन की बुनियादी बातों और पवित्र कुरआन से अवगत कराया जा सके।

इसलिये आप हज़रात से दर्दमन्दाना अपील है कि इस संबन्धा में विशेष ध्यान दें और अपने गांव महल्लों में सुबह व शाम पढ़ाने के लिये मकातिब की स्थापना को सुनिश्चित बनाएं। अगर काइम है तो उनकी सक्रियता में बेहतरी लाएं, प्राचीन व्यवस्था को अपडेट करें, इन में तजवीद और कुरआन की शिक्षा का विशेष आयोजन करें ताकि जमाअत व मिल्लत की नई पीढ़ी को दीन व चरित्र से सुसज्जित करें और उन्हें दीन व अकीदे पर काइम रख सकें।

अल्लाह तआला हम सब को एक होकर दीन जमाअत व जमीअत और मुल्क व मिल्लत की निस्वार्थता सेवा करने की क्षमता दे, हर तरह के फितने और आजमाइश से सुरक्षित रखे और वैश्विक महामारी कोरोना से सबकी रक्षा करे। आमीन

अपील कर्ता

असगर अली इमाम महदी सलफी

अमीर, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द एवं अन्य जिम्मेदारान

Posted On 24-25 Every Month
Posted At LPC, Delhi
RMS Delhi-110006
"Registered with the Registrar of Newspapers for India"

JANUARY 2025
RNI - 53452/90
P.R.No.DL (DG-11)/8065/2023-25

ISLAH-E-SAMAJ

4116, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delhi-110006

अहले हदीस मंज़िल की तामीर व तकमील के सिलसिले में

सम्माननीय अइम्मा, खुतबा, मस्जिदों के संरक्षकों और जमईआत के पदधारियों से पुरजोर अपील व अनुरोध

अहले हदीस मंज़िल में चौथी मंज़िल की ढलाई का काम हुआ चाहता है और अन्य तीनों मंज़िलों की सफाई की तकमील के लिये आप से अनुरोध है कि आने वाले जुमा में नियमित रूप से अपनी मस्जिदों में इसके सहयोग के लिये पुरज़ोर एलान फरमायें और नीचे दिये गये खाते में रकम भेज कर जन्नत में ऊंचा मक़ाम बनाएं और इस सद-क़-ए जारिया में शरीक हों।

सहयोग के तरीक़े (१) सीमेन्ट सरिया, रोड़ी, बदरपुर, रेत (२) नक़द रक़म (३) कारीगरों और मज़दूरों की मज़दूरी की अदायगी (४) खिड़की, दरवाज़ा, पेन्ट, रंग व रोगन का सामान या क़ीमत देकर सहयोग करें और माल व औलाद और नेक कार्यों में बर्कत पाएँ।

Paytm UPI

9899152690@ptaxis

A/c Name : Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind
A/c No. **629201058685** (ICIC Bank)
Chandni Chowk, Delhi-110006
(RTGS/NEFT/IFSC CODE ICIC0006292)
पता:-4116 उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली-110006
Ph. 23273407, Fax : 23246613

अपील : सदस्यगण, मर्कज़ी जमीअत अलहे हदीस हिन्द

28

Total Pages 28